गांधी-विचार-मालाकी अन्य पुस्त

१. पंचायत राज
२. संतति-नियमन : सही मार्ग और गलत मार्ग
३. शाकाहारका नैतिक आधार
४. गीताका सन्देश
५. विश्वशान्तिका अहिंसक मार्ग
६. समाजमें स्त्रियोंका स्थान और कार्य
७. साम्यवाद और साम्यवादी
८ मेरा समाजवाद
९ ईसा — मेरी नजरमें
१०. सहकारी खेती
११. शरीर-श्रम
१२. ग्रामोद्योग

प्रत्येकका डाकखर्च १३ नये पैसे

नवजीवन ट्रस्ट, अ

संरक्षकताका सिद्धान्त

नवजीवन प्रकाशन मंदिर
अहमदाबाद-१४

अनुक्रमणिका

१. प्रकृतिका बुनियादी नियम
२. संरक्षकताका सिद्धान्त
३ धनिकोंकी समस्या
४. सम्पत्ति आवश्यक रूपमें अशुद्ध नहीं होती
५ आर्थिक समानता
६ समान वितरणका सिद्धान्त
७ संरक्षकता — कानूनकी निरी कल्पना नहीं
८ मजदूर अपनी शक्तिको पहचानें
९ पूंजीपति क्या पसंद करेंगे?
१०. अहिंसक पृष्ठबल
११ कुछ प्रश्न और उत्तर
१२ कयामतके दिन तक ठहरना जरूरी नहीं
१३. संरक्षकताकी व्यावहारिक व्याख्या

१

प्रकृतिका बुनियादी नियम

मैं कहना चाहता हूं कि अेक तरहसे हम सब चोर हैं। अगर मैं कोअी अैसी चीज लेता और रखता हूं, जिसकी मुझे अपने किसी तात्कालिक अुपयोगके लिअे जरूरत नहीं है, तो मैं किसी दूसरेसे अुसकी चोरी ही करता हूं। मैं यह कहनेका साहस करता हूं कि यह प्रकृतिका अेक निरपवाद बुनियादी नियम है कि वह रोज केवल अुतना ही पैदा करती है जितना हमें चाहिये। और यदि हरअेक आदमी जितना अुसे चाहिये अुतना ही ले, अुससे ज्यादा न ले, तो अिस दुनियामें गरीबी न रहे और अेक भी आदमी अिस दुनियामें भूखा न मरे। मैं समाजवादी नहीं हूं और जिनके पास सम्पत्तिका सचय है अुनसे मैं सपत्ति छीनना नहीं चाहता। लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि हममें से जो लोग अधेरेसे बाहर निकलकर प्रकाशके दर्शन करना चाहते हैं, अुन्हें व्यक्तिगत तौर पर अिस नियमका पालन करना चाहिये। मैं किसीसे अुसकी सम्पत्ति छीनना नहीं चाहता, क्योंकि वैसा करूं तो मैं अहिंसाके नियमसे च्युत हो जाअूंगा। दूसरे किसीके पास मुझसे ज्यादा सम्पत्ति हो तो भले रहे। लेकिन यदि मुझे अपना जीवन अिस नियमके अनुसार गढ़ना है, तो मैं अैसी कोअी चीज अपने पास रखनेकी हिम्मत नहीं कर सकता जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। भारतमें तीस लाख लोग अैसे हैं जिन्हें दिनमें केवल अेक ही बार खाकर सतोष कर लेना पड़ता है, और अुनके अुस भोजनमें सूखी रोटी और चुटकीभर नमकके सिवा और कुछ नहीं होता। घीके तो अुन्हें दर्शन भी नहीं होते। हमारे पास जो कुछ भी है अुस पर आपका और मेरा तब तक कोअी अधिकार नहीं है, जब तक अिन तीस लाख लोगोंके पास पहननेके लिअे काफी कपड़ा और खानेके लिअे काफी अन्न नहीं हो जाता। हमसे और आपसे ज्यादा

१

प्रकृतिका बुनियादी नियम

मैं कहना चाहता हूं कि अेक तरहसे हम सब चोर हैं। अगर मैं कोअी अैसी चीज लेता और रखता हूं, जिसकी मुझे अपने किसी तात्कालिक अुपयोगके लिअे जरूरत नहीं है, तो मैं किसी दूसरेसे अुसकी चोरी ही करता हूं। मैं यह कहनेका साहस करता हूं कि यह प्रकृतिका अेक निरपवाद बुनियादी नियम है कि वह रोज केवल अुतना ही पैदा करती है जितना हमें चाहिये। और यदि हरअेक आदमी जितना अुसे चाहिये अुतना ही ले, अुससे ज्यादा न ले, तो अिस दुनियामें गरीबी न रहे और अेक भी आदमी अिस दुनियामें भूखा न मरे। मैं समाजवादी नहीं हूं और जिनके पास सम्पत्तिका सचय है अुनसे मैं सपत्ति छीनना नहीं चाहता। लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि हममें से जो लोग अंधेरेसे बाहर निकलकर प्रकाशके दर्शन करना चाहते हैं, अुन्हें व्यक्तिगत तौर पर अिस नियमका पालन करना चाहिये। मैं किसीसे अुसकी सम्पत्ति छीनना नहीं चाहता, क्योंकि वैसा करूं तो मैं अहिंसाके नियमसे च्युत हो जाअूंगा। दूसरे किसीके पास मुझसे ज्यादा सम्पत्ति हो तो भले रहे। लेकिन यदि मुझे अपना जीवन अिस नियमके अनुसार गढ़ना है, तो मैं अैसी कोअी चीज अपने पास रखनेकी हिम्मत नहीं कर सकता जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। भारतमें तीस लाख लोग अैसे हैं जिन्हें दिनमें केवल अेक ही बार खाकर सतोष कर लेना पड़ता है, और अुनके अुस भोजनमें सूखी रोटी और चुटकीभर नमकके सिवा और कुछ नहीं होता। घीके तो अुन्हें दर्शन भी नहीं होते। हमारे पास जो कुछ भी है अुस पर आपका और मेरा तब तक कोअी अधिकार नहीं है, जब तक अिन तीस लाख लोगोंके पास पहननेके लिअे काफी कपड़ा और खानेके लिअे काफी अन्न नहीं हो जाता। हमसे और आपसे ज्यादा

दूसरेकी चीज अुसकी अिजाजतके बिना लेना तो सचमुच चोरी है। लेकिन जो चीज हमें जिस कामके लिअे मिली हो अुसके सिवा दूसरे काममें अुसे लेना या जितने समयके लिअे मिली हो अुससे ज्यादा समय तक अुसे काममें लेना भी चोरी ही है। अिस व्रतकी बुनियादमें यह सूक्ष्म सत्य समाया हुआ है कि परमात्मा प्राणियोंके लिअे हमेशाकी जरूरतकी चीजें ही हमेशा पैदा करता है और अुन्हें देता है। अुससे ज्यादा चीजें परमात्मा पैदा ही नहीं करता। अिसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपनी कमसे कम जरूरतसे ज्यादा जितना भी लेता है वह चोरीका ही लेता है।

सत्याग्रह आश्रमका अितिहास, पृ० ३८-३९, १९५९

२

संरक्षकताका सिद्धान्त

फर्ज कीजिये कि विरासत या अुद्योग-व्यवसायके द्वारा मुझे प्रचुर सम्पत्ति मिल गअी। तब मुझे यह जानना चाहिये कि वह सब सम्पत्ति मेरी नहीं है, मेरा तो अुस पर अितना ही अधिकार है कि जिस तरह दूसरे लाखों आदमी अपना गुजर करते हैं, अुसी तरह मैं भी अिज्जतके साथ अपना गुजर भर करूं। मेरी शेष सम्पत्ति पर राष्ट्रका अधिकार है और अुसीके हितार्थ अुसका अुपयोग होना आवश्यक है। अिस सिद्धान्तका प्रतिपादन मैंने तब किया था, जब कि जमींदारों और राजाओंकी सम्पत्तिके सम्बन्धमें समाजवादी सिद्धान्त देशके सामने पेश किया गया था। समाजवादी अिन सुविधा-प्राप्त वर्गोंको खतम कर देना चाहते हैं, जब कि मैं यह चाहता हू कि वे (जमींदार और राजा-महाराजा) अपने लोभ और सम्पत्तिके बावजूद अुन लोगोंके समकक्ष बन जायं जो मेहनत करके रोटी कमाते हैं। मजदूरोंको भी यह महसूस करना होगा कि मजदूरका काम करनेकी अपनी शक्ति पर जितना अधिकार है, मालदार आदमीका अपनी सम्पत्ति पर अुससे भी कम अधिकार है।

गमझदार होनेकी आशा की जाती है। अतः हमें अपना जरूरतोंका नियमन करना चाहिये और स्वेच्छापूर्वक अमुक अभाव भी सहना चाहिये, जिससे कि अुन गरीबोंका पालन-पोषण हो सके और अुन्हें कपड़ा और अन्न मिल सके।

स्पीचेज़ अेण्ड राअिटिंग्ज़ ऑफ महात्मा गांधी, पृ० ३८४-८५

अपनी सम्पत्तिका त्याग करके तू अुसे भोग

धनवानोंको अपना धर्म सोच लेना है। अगर अपनी जायदादकी रक्षाके लिअे अुन्होंने सिपाही वगैरा रखे, तो मुमकिन है कि लूट-मारके हंगाममें ये रक्षक ही अुनके भक्षक बन जायें। अिसलिअे धनवानोंको या तो हथियार चलाना सीख लेना चाहिये या अहिंसाकी दीक्षा ले लेनी चाहिये। अिस दीक्षाको लेने और देनेका सबसे अुत्तम मंत्र है : 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा' — अपनी सम्पत्तिका त्याग करके तू अुसे भोग। अिसको जरा विस्तारसे समझाकर कहूं तो यह कहूंगा : "तू करोड़ों खुशीसे कमा। लेकिन समझ ले कि तेरा धन सिर्फ तेरा नहीं, सारी दुनियाका है; अिसलिअे जितनी तेरी सच्ची जरूरतें हों अुतनी पूरी करनेके बाद जो बचे अुसका अुपयोग तू समाजके लिअे कर।" शान्तिकी साधारण अवस्थामें तो अुस नसीहत पर अमल नहीं हुआ। लेकिन संकटके अिस समयमें भी अगर धनिकोंने अिसे नहीं अपनाया, तो दुनियामें वे अपने धनके और भोगके गुलाम बनकर ही रह सकेंगे और अन्तमें शरीर-बलवालोंकी गुलामीमें बंध जायेंगे।

मैं अुस दिनको आता देख रहा हूं जब धनिकोंकी सत्ताका अन्त होनेवाला है और गरीबोंका सिक्का चलनेवाला है, फिर चाहे वह शरीर-बलसे चले या आत्मबलसे। शरीर-बलसे प्राप्त की हुअी सत्ता मानव-देहकी तरह क्षणभंगुर होगी, जब कि आत्मबलसे प्राप्त की हुअी सत्ता आत्माकी तरह अजर-अमर रहेगी।

हरिजनसेवक, १-२-'४२; पृ० २०

दूसरेकी चीज अुसकी अिजाजतके बिना लेना तो सचमुच चोरी है। लेकिन जो चीज हमें जिस कामके लिअे मिली हो अुसके सिवा दूसरे काममें अुसे लेना या जितने समयके लिअे मिली हो अुससे ज्यादा समय तक अुसे काममें लेना भी चोरी ही है। अिस व्रतकी बुनियादमें यह सूक्ष्म सत्य समाया हुआ है कि परमात्मा प्राणियोंके लिअे हमेशाकी जरूरतकी चीजें ही हमेशा पैदा करता है और अुन्हें देता है। अुससे ज्यादा चीजें परमात्मा पैदा ही नहीं करता। जिसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपनी कमसे कम जरूरतसे ज्यादा जितना भी लेता है वह चोरीका ही लेता है।

सत्याग्रह आश्रमका अितिहास, पृ० ३८–३९, १९५९

२

संरक्षकताका सिद्धान्त

फर्ज कीजिये कि विरासत या अुद्योग-व्यवसायके द्वारा मुझे प्रचुर सम्पत्ति मिल गअी। तब मुझे यह जानना चाहिये कि वह सब सम्पत्ति मेरी नहीं है, मेरा तो अुस पर अितना ही अधिकार है कि जिस तरह दूसरे लाखों आदमी अपना गुजर करते हैं, अुसी तरह मैं भी अिज्जतके साथ अपना गुजर भर करूं। मेरी शेष सम्पत्ति पर राष्ट्रका अधिकार है और अुसीके हितार्थ अुसका अुपयोग होना आवश्यक है। अिस सिद्धान्तका प्रतिपादन मैंने तब किया था, जब कि जमींदारों और राजाओंकी सम्पत्तिके सम्बन्धमें समाजवादी सिद्धान्त देशके सामने पेश किया गया था। समाजवादी अिन सुविधा-प्राप्त वर्गोंको खतम कर देना चाहते हैं, जब कि मैं यह चाहता हू कि वे (जमींदार और राजा-महाराजा) अपने लोभ और सम्पत्तिके बावजूद अुन लोगोंके समकक्ष बन जायं जो मेहनत करके रोटी कमाते हैं। मजदूरोंको भी यह महसूस करना होगा कि मजदूरका काम करनेकी अपनी शक्ति पर जितना अधिकार है, मालदार आदमीका अपनी सम्पत्ति पर अुससे भी कम अधिकार है।

गमझदार होनेकी आशा की जाती है। अतः हमें अपनी जरूरतोंका नियमन करना चाहिये और स्वेच्छापूर्वक अमुक अभाव भी सहना चाहिये, जिससे कि अुन गरीबोंका पालन-पोषण हो सके और अुन्हें कपड़ा और अन्न मिल सके।

स्पीचेज़ अेण्ड राअिटिंग्ज़ ऑफ महात्मा गांधी, पृ० ३८४-८५

अपनी सम्पत्तिका त्याग करके तू अुसे भोग

धनवानोंको अपना धर्म सोच लेना है। अगर अपनी जायदादकी रक्षाके लिअे अुन्होंने सिपाही वगैरा रखे, तो मुमकिन है कि लूट-मारके हंगाममें ये रक्षक ही अुनके भक्षक बन जायें। अिसलिअे धनवानोंको या तो हथियार चलाना सीख लेना चाहिये या अहिंसाकी दीक्षा ले लेनी चाहिये। अिस दीक्षाको लेने और देनेका सबसे अुत्तम मंत्र है - 'तेन त्यक्तेन भुंजीथा' — अपनी सम्पत्तिका त्याग करके तू अुसे भोग। अिसको जरा विस्तारसे समझाकर कहूं तो यह कहूंगा - "तू करोड़ो खुशीसे कमा। लेकिन समझ ले कि तेरा धन सिर्फ तेरा नहीं, सारी दुनियाका है; अिसलिअे जितनी तेरी सच्ची जरूरतें हों अुतनी पूरी करनेके बाद जो बचे अुसका अुपयोग तू समाजके लिअे कर।" शान्तिकी साधारण अवस्थामें तो अुस नसीहत पर अमल नहीं हुआ। लेकिन संकटके अिस समयमें भी अगर धनिकोंने अिसे नहीं अपनाया, तो दुनियामें वे अपने धनके और भोगके गुलाम बनकर ही रह सकेंगे और अन्तमें शरीर-बलवालोंकी गुलामीमें बंध जायेंगे।

मैं अुस दिनको आता देख रहा हूं जब धनिकोंकी सत्ताका अन्त होनेवाला है और गरीबोंका सिक्का चलनेवाला है, फिर चाहे वह शरीर-बलसे चले या आत्मबलसे। शरीर-बलसे प्राप्त की हुअी सत्ता मानव-देहकी तरह क्षणभंगुर होगी, जब कि आत्मबलसे प्राप्त की हुअी सत्ता आत्माकी तरह अजर-अमर रहेगी।

हरिजनसेवक, १-२-'४२; पृ० २०

दूसरेकी चीज अुसकी अिजाजतके बिना लेना तो सचमुच चोरी है। लेकिन जो चीज हमें जिस कामके लिअे मिली हो अुसके सिवा दूसरे काममें अुसे लेना या जितने समयके लिअे मिली हो अुससे ज्यादा समय तक अुसे काममें लेना भी चोरी ही है। अिस व्रतकी बुनियादमें यह सूक्ष्म सत्य समाया हुआ है कि परमात्मा प्राणियोंके लिअे हमेशाकी जरूरतकी चीजें ही हमेशा पैदा करता है और अुन्हें देता है। अुससे ज्यादा चीजें परमात्मा पैदा ही नहीं करता। अिसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपनी कमसे कम जरूरतसे ज्यादा जितना भी लेता है वह चोरीका ही लेता है।

सत्याग्रह आश्रमका अितिहास, पृ० ३८–३९, १९५९

२

संरक्षकताका सिद्धान्त

फर्ज कीजिये कि विरासत या अुद्योग-व्यवसायके द्वारा मुझे प्रचुर सम्पत्ति मिल गअी। तब मुझे यह जानना चाहिये कि वह सब सम्पत्ति मेरी नहीं है, मेरा तो अुस पर अितना ही अधिकार है कि जिस तरह दूसरे लाखों आदमी अपना गुजर करते हैं, अुसी तरह मैं भी अिज्जतके साथ अपना गुजर भर करूं। मेरी शेष सम्पत्ति पर राष्ट्रका अधिकार है और अुसीके हितार्थ अुसका अुपयोग होना आवश्यक है। अिस सिद्धान्तका प्रतिपादन मैंने तब किया था, जब कि जमींदारों और राजाओंकी सम्पत्तिके सम्बन्धमें समाजवादी सिद्धान्त देशके सामने पेश किया गया था। समाजवादी अिन सुविधा-प्राप्त वर्गोंको खतम कर देना चाहते हैं, जब कि मैं यह चाहता हूं कि वे (जमींदार और राजा-महाराजा) अपने लोभ और सम्पत्तिके बावजूद अुन लोगोंके समकक्ष बन जायं जो मेहनत करके रोटी कमाते हैं। मजदूरोंको भी यह महसूस करना होगा कि मजदूरका काम करनेकी अपनी शक्ति पर जितना अधिकार है, मालदार आदमीका अपनी सम्पत्ति पर अुससे भी कम अधिकार है।

नात्रिक ढंगसे संचालित हो ? किसी वर्तमान ट्रस्टीके मरने पर अुसका अुत्तराधिकारी कैसे निश्चित किया जायगा ?"

गांधीजीने अुत्तरमें कहा कि बरसों पहले मेरा जो विश्वास था वही आज भी है कि सब कुछ अीश्वरका है, अुसीने अुसे बनाया है। अिसलिअे वह अीश्वरकी सारी प्रजाके लिअे है, किसी खास व्यक्तिके लिअे नहीं। जब किसी व्यक्तिके पास अपने अुचित हिस्सेसे ज्यादा होता है, तब वह अीश्वरकी प्रजाके लिअे अुस हिस्सेका संरक्षक बन जाता है।

अीश्वर सर्व-शक्तिमान है, अिसलिअे अुसे संग्रह करके रखनेकी आवश्यकता नहीं। वह प्रतिदिन पैदा करता है। अिसलिअे मनुष्योंका भी यह सिद्धान्त होना चाहिये कि वे अुतना ही अपने पास रखें, जिससे आजका काम चल जाय, कलके लिअे वे चीजें जमा करके न रखें। अगर आम तौर पर लोग अिस सत्यको अपने जीवनमें अुतार लें, तो वह कानून-सम्मत बन जायगा और संरक्षकता अेक कानून-सम्मत संस्था हो जायगी। मैं चाहता हू कि संरक्षकता संसारके लिअे भारतकी अेक देन बन जाय। फिर न कोअी शोषण रहेगा और न आस्ट्रेलिया और दूसरे मुल्कोंमें गोरों और अुनकी संतानोंके लिअे कोअी सुरक्षित स्थान और जमीन-जायदाद रखनेका सवाल रहेगा। अिन भेदभावोंमें पिछले दो महायुद्धोंसे भी अधिक जहरीली लडाअीके बीज छिपे हैं। रही बात अुत्तराधिकारी निश्चित करनेकी, सो पदासीन ट्रस्टीको कानूनकी स्वीकृतिसे अपना अुत्तराधिकारी चुननेका अधिकार होगा।

हरिजन, २३-२-'४७, पृ० ३९

आजके धनवानोंको वर्ग-संघर्ष और स्वेच्छासे धनके ट्रस्टी बन जानेके दो रास्तोंमें से अेक रास्ता चुन लेना होगा। अुन्हें अपनी जायदादकी रक्षाका हक होगा। अुन्हें यह भी हक होगा कि अपने स्वार्थके लिअे नहीं, बल्कि देशके भलेके लिअे दूसरोंका शोषण न करके वे धनको बढानेमें अपनी बुद्धिका अुपयोग करें। अुनकी सेवा और अुसके द्वारा होनेवाले समाजके कल्याणको ध्यानमें रखकर राज्य अुन्हें निश्चित कमीशन

भी देगा। अुनके बच्चे योग्य हुअे तो ही वे अुस जायदादके संरक्षक बन सकेंगे।

खयाल कीजिये कि कल हिन्दुस्तान आजाद हो जाता है, तो अुस हालतमें सारे पूंजीपतियोंको अपने धनके कानूनी ट्रस्टी होनेका मौका दिया जायगा। मगर अैसा कोअी कानून अुन पर अूपरसे लादा नहीं जायगा। वह नीचेसे आयेगा। जब लोग ट्रस्टीशिपके मानी समझ लेंगे और अिसके लिअे देशमें वातावरण पैदा हो जायगा, तो लोग खुद ग्राम-पंचायतोंसे शुरू करके अैसा कानून बनायेंगे और अुस पर अमल करेंगे। अिस तरहकी बात जब नीचेसे पैदा होगी, तो सब अुसे खुशी-खुशी मंजूर कर लेंगे। अूपरसे लादने पर वह जड़ चीजके समान बोझिल मालूम होगी।

हरिजनसेवक, ३१-३-'४६; पृ० ६३

३
धनिकोंकी समस्या

['अिन्टरनेशनल वॉलन्टेरी सर्विस' नामक संस्थाके संस्थापक-अध्यक्ष श्री पीअरे सेरेसोलने १९३५ में अपनी भारत-यात्राके समय गांधीजीके सामने पूंजीवाद और अहिंसाके बारेमें अपनी कुछ शंकायें प्रकट की थी। वे शंकायें और गांधीजी द्वारा दिये गये अुनके अुत्तर अिस प्रकार हैं :]

"धनिकोंके लिअे अुनके रहन-सहनका कोअी नियम क्या हम निश्चित कर सकते हैं? अर्थात् क्या यह निश्चित किया जा सकता है कि धनिकोंका अधिकार कितने धन पर हो और कितने पर नहीं?"

गांधीजीने मुसकराते हुअे कहा, "हां, यह निश्चित किया जा सकता है। धनी मनुष्य अपने खर्चके लिअे अपनी सम्पत्तिका पांच प्रतिशत या दस प्रतिशत अथवा पन्द्रह प्रतिशत भाग ले सकता है।"

"पर ८५ प्रतिशत तो नहीं?"

"मैं तो २५ प्रतिशत तक जानेका विचार कर रहा था! पर ८५ प्रतिशत भाग तो अेक लुटेरेको भी लेनेका अविचार नहीं करना चाहिये।"

पीअरे सेरेसोलकी असल कठिनाअी यह थी कि धनिकोंके गले यह दान अुतारनेके लिअे हमें कब तक राह देखनी चाहिये।

गांधीजीने कहा, "यहीं साम्यवादियोंके साथ मेरा मतभेद है। मेरी अन्तिम कसौटी अहिंसा है। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिये कि अेक दिन हम लोग भी धनिकों जैसी ही स्थितिमें थे। हमें अपनी सम्पत्तिका त्याग करना आसान नहीं मालूम हुआ था। हमने जिस तरह स्वयं अपने प्रति धीरज रखा, अुसी तरह हमें दूसरोंके प्रति भी रखना चाहिये। अिसके अतिरिक्त, मुझे यह मान लेनेका कोअी हक नहीं कि मैं सच्चा हूं और वह धनी झूठा है। जब तक मैं अुसके गले अपनी बात नहीं अुतार सकता, तब तक मुझे राह देखनी ही चाहिये। अिस बीचमें अगर वह कहे कि 'मैं २५ प्रतिशत अपने लिअे रखकर बाकीका ७५ प्रतिशत परोपकारके कामोंमें लगानेको तैयार हूं', तो मैं अुसकी बात मान लूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि संगीनके भयसे दिये हुअे १०० प्रतिशत धनसे स्वेच्छापूर्वक दिया हुआ ७५ प्रतिशतका यह दान कहीं अच्छा है। अहिंसाका अंचल तो हम दोनोंको ही पकड़े रहना चाहिये।

"अिस पर शायद आप यह कहें कि जो मनुष्य आज बलात्कारसे अपना धन सुपुर्द कर देता है, वह कल अपनी अिच्छासे अिस स्थितिको कबूल कर लेगा। यह संभावना मुझे बहुत दूरकी मालूम होती है और अिस पर मैं अधिक निर्भर नहीं करता। अितनी बात पक्की है कि यदि मैं आज हिंसाका अुपयोग करता हूं, तो कल निश्चय ही मुझे अधिक भारी हिंसाका सामना करना पड़ेगा। अहिंसाको अगर हम जीवनका नियम बना लेते हैं तो अिसमें सन्देह नहीं कि जीवनमें हमें अनेक समझौते करने पड़ेंगे। किन्तु अनन्त अखण्ड कलहकी अपेक्षा यह स्थिति अधिक अच्छी है।"

"धनी मनुष्यकी न्याय्य स्थितिका वर्णन अेक शब्दमें आप किस प्रकार करेंगे?"

"वह ट्रस्टी है। मैं अैसे कितने ही मित्रोंको जानता हूं जो गरीबोंके लिअे पैसा कमाते हैं और खर्च करते हैं, और खुदको अपनी संपत्तिका स्वामी नहीं किन्तु ट्रस्टी मानते हैं।"

"मेरे भी कुछ अमीर और गरीब मित्र हैं। मैं खुद अपने पास कोअी संपत्ति नहीं रखता, पर मेरे धनी मित्र जो धन मुझे देते हैं अुसे मैं स्वीकार कर लेता हूं। अिस बातको मैं किस तरह अुचित मान सकता हूं।"

"आप खुद अपने लिअे कुछ भी स्वीकार न करें। सैर-सपाटेकी गरजसे स्विटजरलैंड जानेके लिअे आप कोअी चैक स्वीकार न करें, पर हरिजनोंके लिअे कुअें, स्कूल अथवा औषधालय बनवानेके लिअे आप लाख रुपये भी स्वीकार कर लें। स्वार्थकी भावना अुड़ा देनेमें यह प्रश्न सहज ही हल हो जाता है।"

"पर मेरा निजी खर्च कैसे चलेगा?"

"आपको अिस सिद्धान्तके अनुसार चलना होगा कि हरअेक मजदूरको अुसकी मजदूरी मिलनी चाहिये। आपको अपनी कम-से-कम मजदूरी लेनेमें कोअी संकोच नहीं होना चाहिये। हम सब यही तो करते हैं। भणसालीकी मजदूरी केवल गेहूंका आटा और नीमकी पत्तियां हैं। हम सब भणसाली तो नहीं हो सकते। लेकिन वे जैसी जिन्दगी बसर कर रहे हैं अुसके नजदीक पहुंचनेका प्रयत्न तो हम कर ही सकते हैं। मैं अपनी आजीविका प्राप्त करके संतोष मान लूंगा; पर मैं किसी धनी आदमीसे यह सिफारिश नहीं कर सकता कि वह मेरे लड़केको अपने यहां किसी अच्छी जगह पर रख ले। मुझे तो अितनी ही फिक्र रखनेकी जरूरत है कि जब तक मैं समाज-सेवा करता रहूं तब तक मेरा यह शरीर टिका रहे।"

"किन्तु जब तक मैं किसी धनवानसे अपने निर्वाहका खर्च लेता हूं, तब तक निरन्तर अुससे यह कहते रहना क्या मेरा कर्तव्य नहीं है कि तुम्हारी स्थिति किसीके लिअे ओर्ष्याकी चीज नहीं है, और तुम्हारी आजीविका पर जितना खर्च होता है अुसके सिवा बाकीकी सम्पत्ति परसे तुम्हें अपना स्वामित्व हटा लेना चाहिये ?"

"हां, अवश्य अैसा कहना आपका कर्तव्य है।"

"पर ये धनी मनुष्य भी सब अेक समान थोडे ही होते हैं? अुनमें से कुछ तो शराबके व्यापारसे मालामाल बन जाते हैं।"

"हां, भेद आप अवश्य करें। आप खुद कलवारका पैसा न लें, पर आपने अगर किसी सेवाकार्यके लिअे धनकी अपील निकाली हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप लोगोंसे यह कहते फिरेंगे कि जिन्होंने न्यायके पथ पर चलकर पैसा कमाया हो वे ही अिस फण्डमें पैसा दें? अिस शर्त पर अेक पाअीकी भी आशा रखनेके बजाय मैं अपीलको ही वापस ले लेना पसन्द करूंगा। यह निर्णय करनेवाला कौन है कि अमुक मनुष्य धर्मवान है और अमुक अधर्मी। और धर्म भी तो अेक सापेक्ष वस्तु है। हम अपने ही दिलसे पूछें तो पता चलेगा कि हम आजीवन धर्म या न्यायका अनुसरण करके नहीं चले। गीतामें कहा है कि सबका अेक ही लेखा है, अिसलिअे दूसरोंके गुण-दोष देखते फिरनेके बजाय दुनियामें अलिप्त बनकर रहो। अहंभावका नाश ही सच्चा जीवन-रहस्य है।"

मेरेसोलने कहा, "ठीक, अिसे मैं समझता हूं।" और थोडी देर वे शान्त रहे। फिर आह भरकर अुन्होंने कहा, "पर कभी कभी स्थिति अत्यन्त क्लेशकर मालूम होती है। बिहारमें मैं कुछ अैसे आदमियोंसे मिला हूं, जो दो आनेसे भी कम और कभी-कभी तो अेक आनेमें भी कमकी मजदूरीके लिअे सवेरेसे शाम तक जी-तोड परिश्रम करते हैं। अुन लोगोंने मुझे अक्सर यह कहा है कि अमीर आदमी आज अन्यायका पैसा जोड-जोडकर खूब मौज अुडा रहे हैं; क्या ही अच्छा हो कि

"किन्तु जब तक मैं किसी धनवानसे अपने निर्वाहका खर्च लेता हूं, तब तक निरन्तर अुससे यह कहते रहना क्या मेरा कर्तव्य नहीं है कि तुम्हारी स्थिति किसीके लिअे ओर्ष्याकी चीज नहीं है, और तुम्हारी आजीविका पर जितना खर्च होता है अुसके सिवा बाकीकी सम्पत्ति परसे तुम्हें अपना स्वामित्व हटा लेना चाहिये?"

"हां, अवश्य अैसा कहना आपका कर्तव्य है।"

"पर ये धनी मनुष्य भी सब अेक समान थोड़े ही होते हैं? अुनमें से कुछ तो शराबके व्यापारसे मालामाल बन जाते हैं।"

'हां, भेद आप अवश्य करें। आप खुद कलवारका पैसा न लें, पर आपने अगर किसी सेवाकार्यके लिअे धनकी अपील निकाली हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप लोगोंसे यह कहते फिरेंगे कि जिन्होंने न्यायके पथ पर चलकर पैसा कमाया हो वे ही अिस फंडमें पैसा दें? अिस शर्त पर अेक पाअीकी भी आशा रखनेके बजाय मैं अपीलको ही वापस ले लेना पसन्द करूंगा। यह निर्णय करनेवाला कौन है कि अमुक मनुष्य धर्मवान है और अमुक अधर्मी। और धर्म भी तो अेक सूक्ष्म वस्तु है। हम अपने ही दिलसे पूछें तो पता चलेगा कि हम सर्वांश धर्म या न्यायका अनुसरण करके नहीं चले। गीतामें कहा है ईश्वरका अेक ही लेखा है, अिसलिअे दूसरोंके गुण-दोष देखनेके बजाय दुनियामें अलिप्त बनकर रहो। अहंभावका नाश ही [illegible]-रहस्य है।"

अुनसे यह पैसा छीन लिया जाय। मैं यह सुनकर अवाक् हो जाता था और आपकी याद दिलाकर अुनका मुंह बन्द कर दिया करता था।"

हरिजनसेवक, ७-६-'३५; पृ० १२६-२७

विरासतमें मिली हुअी संपत्ति

प्र० — धर्ममय अुपायोंसे लाखों रुपये कैसे कमाये जा सकते हैं। स्व० श्री जमनालालजी, जो अुत्तम व्यवसायी थे, कहा करते थे कि धन कमानेमें पाप तो होता ही है। धनिक कितना ही सज्जन क्यों न हो, वह अपने कमाये हुअे धनमें से अपनी सच्ची जरूरतसे कुछ अधिक तो खर्च कर ही डालता है। यह भी पाप है। अिसलिअे ट्रस्टी बननेकी बात छोड़कर धनवान न बनने पर ही जोर क्यों न दिया जाय?

अु० — प्रश्न अच्छा है। अिससे पहले भी यह मुझसे पूछा जा चुका है। जमनालालजीने जो यह कहा कि धन कमानेमें पाप तो है ही, वह ठीक वैसा ही है जैसा गीतामें कहा गया है कि आरम्भमात्र दोषपूर्ण है। मेरा यह विश्वास है कि जान-बूझकर पाप न करते हुअे भी धन कमाया जा सकता है। अुदाहरणके लिअे, अगर मुझे अपनी अेक अेकड़ जमीनमें सोनेकी कोअी खान मिल जाय तो मैं धनवान बन जाअूंगा। पर धनवान न बनने पर तो मेरा जोर है ही। मैंने जो धन कमाना छोड़ दिया, अुसका मतलब ही यह है कि धनी लोग अपने धनका अुपयोग सेवाके लिअे करें। यह भी ठीक है कि धनवान सरासर कोशिश करने पर भी अक्सर अपने गरीब साथियोंके मुकाबले कुछ ज्यादा ही खर्च कर डालेगा। लेकिन यह कोअी नियम नहीं है। आम तौर पर स्व० जमनालालजी मध्यम श्रेणीके अनेक लोगोंकी और अपने साथियोंकी तुलनामें कम ही खर्च करते थे। मैंने अैसे सैकड़ों धनवानोंको देखा है, जो अपने लिअे बड़े कंजूस होते हैं। वे जैसे-तैसे अपना गुजारा करते हैं। यह भी नहीं कि जिससे वे किसी तरहका गौरव अनुभव करते हैं; अपने गुजा

धनवानोंके लड़कोंके बारेमें भी मुझे यही कहना है। मेरा आदर्श तो यह है कि धनवान लोग अपनी सन्तानके लिअे धनके रूपमें कुछ न छोड़ें। हां, अुनको अच्छी शिक्षा दें, रोजगार-धन्धेके लिअे तैयार करें और स्वावलम्बी बना दें। परन्तु दुःख तो यह है कि वे अैसा नहीं करते। अुनके बालक पढ़ते हैं, गरीबीकी महिमा भी गाते हैं, लेकिन अपने लिअे वे अधिकसे अधिक धन चाहते हैं। अैसी हालतमें मैं अपनी व्यावहारिक बुद्धिका अुपयोग करके अुन्हें वही सलाह देता हूं जो अुनके बसकी होती है। हम लोगोंको, जो गरीबीको पसन्द करते हैं, अुसे अपना धर्म मानते हैं और आर्थिक समानताके हामी हैं, धनवानोंसे द्वेष न करना चाहिये। यदि वे अपने धनका सदुपयोग करते हैं, तो अुनसे हमें सन्तोष होना चाहिये। साथ ही हमें यह श्रद्धा रखनी चाहिये कि अगर हम अपनी गरीबीमें सुखी और आनन्दित रहेंगे, तो धनवान लोग भी हमारी नकल करेंगे। सच तो यह है कि गरीबीमें धर्मका दर्शन करनेवाले और मिलने पर भी धनका त्याग करनेवाले लोग दुनियामें अिने-गिने ही पाये जाते हैं। अिसलिअे हमें अपने जीवनके द्वारा यह सिद्ध कर दिखाना होगा कि असलमें धर्मके रूपमें स्वीकार की गअी गरीबी ही सच्ची सम्पत्ति है।

हरिजनसेवक, १-३-'४२, पृ० ६२

४

सम्पत्ति आवश्यक रूपमें अशुद्ध नहीं होती

श्री दाकरराव देव लिखते हैं :

"पिछले 'हरिजन' के 'अेक दुःखद घटना' शीर्षक अपने लेखमें आप धनवानोंसे कहते हैं कि वे करोड़ों सुदीगे कमाये, लेकिन यह समझ लें कि अुनका वह धन सिर्फ अुन्हींका नहीं सारी दुनियाका है; अिसलिअे अपनी सच्ची जरूरतोंको पूरा करनेके

"अतअेव मेरा निवेदन है कि आप कमाअीके साधनोंकी शुद्धता पर भी अधिक नहीं तो अुतना जोर अवश्य दीजिये, जितना कमाये हुअे धनको लोकहितके कार्योंमें खर्च करने पर देते हैं। मेरे विचारमें यदि साधनोंकी शुद्धताका दृढ़तासे पालन किया जाय, तो कोअी आदमी करोड़ों कभी कमा ही नहीं सकेगा और अुस दशामें समाजके हितके लिअे अुसे खर्च करनेकी कठिनाअी बहुत गौण रूप ले लेगी।"

मैं अिससे सहमत नहीं हूं। मैं निश्चित रूपसे यह मानता हूं कि
ादमी बिलकुल शुद्ध साधनोंसे करोड़ों रुपये कमा सकता है। अिसमें
ह मान लिया गया है कि अुसे कानूनन् सम्पत्ति रखनेका अधिकार है।
लीलके तौर पर मैंने यह माना है कि निजी सम्पत्ति अपने आपमें अशुद्ध
हीं समझी गअी है। अगर मेरे पास किसी अेक खानका पट्टा है और
ते अुसमें से अचानक कोअी अनमोल हीरा मिल जाता है, तो मैं
काअेक करोड़पति बन सकता हूं और कोअी मुझ पर अशुद्ध साधनोंका
पयोग करनेका दोष नहीं लगा सकता। ठीक यही बात अस समय

हुआी थी, जब कोहिनूरसे कहीं अधिक मूल्यवान क्यूलीनन नामक हीरा मिला था। अैसे और कअी अुदाहरण आसानीसे गिनाये जा सकते हैं। निःसन्देह करोड़ों कमानेकी बात मैंने अैसे ही लोगोंके लिअे कही थी।

मैं अिस रायके साथ निःसंकोच अपनी सम्मति जाहिर करता हूं कि आम तौर पर धनवान — केवल धनवान ही क्यों, बल्कि ज्यादातर लोग — अिस बातका विशेष विचार नहीं करते कि वे पैसा किस तरह कमाते हैं। अहिंसक अुपायका प्रयोग करते हुअे हमें यह विश्वास तो होना ही चाहिये कि कोअी आदमी कितना ही पतित क्यों न हो, यदि अुसका अिलाज कुशलतासे और सहानुभूतिके साथ किया जाय तो अुसे सुधारा जा सकता है। हमें मनुष्योंमें रहनेवाले दैवी अंशको जगानेका प्रयत्न करना चाहिये और आशा रखनी चाहिये कि अुसका अनुकूल परिणाम निकलेगा। यदि समाजका हरअेक सदस्य अपनी शक्तियोंका अुपयोग वैयक्तिक स्वार्थ साधनेके लिअे नहीं बल्कि सबके कल्याणके लिअे करे, तो क्या अिससे समाजकी सुख-समृद्धिमें वृद्धि नहीं होगी? हम अैसी जड़ समानताका निर्माण नहीं करना चाहते, जिसमें कोअी आदमी अपनी योग्यताओंका पूरा-पूरा अुपयोग कर ही न सके। अैसा समाज अन्तमें नष्ट हुअे बिना नहीं रह सकता। अिसलिअे मेरी यह सलाह बिलकुल ठीक है कि धनवान लोग चाहे करोड़ों रुपये कमायें (बेशक, केवल अीमानदारीसे), लेकिन अुनका अुद्देश्य वह सारा पैसा सबके कल्याणमें समर्पित कर देनेका होना चाहिये। 'तेन त्यक्तेन भुंजीथा' मंत्रमें असाधारण ज्ञान भरा पड़ा है। मौजूदा जीवन-पद्धतिकी जगह, जिसमें हरअेक आदमी पड़ोसीकी परवाह किये बिना केवल अपने ही लिअे जीता है, सबका कल्याण करनेवाली नयी जीवन-पद्धतिका विकास करना हो, तो अुसका सबसे निश्चित मार्ग यही है।

हरिजनसेवक, १–३–'४२; पृ० ६३

५

आर्थिक समानता

आर्थिक समानताके लिअे काम करनेका मतलब है पूंजी और मजदूरीके बीचके झगड़ेको हमेशाके लिअे मिटा देना। अिसका अर्थ यह होता है कि अेक ओर जिन मुट्ठीभर पैसेवाले लोगोंके हाथमें राष्ट्रकी संपत्तिका बड़ा भाग अिकट्ठा हो गया है अुनकी संपत्तिको कम करना और दूसरी ओर जो करोड़ों लोग अधपेट खाते और नंगे रहते हैं अुनकी संपत्तिमें वृद्धि करना। जब तक मुट्ठीभर धनवानों और करोड़ों भूखे रहनेवालोंके बीच बेअिन्तहा अंतर बना रहेगा, तब तक अहिंसाकी बुनियाद पर चलनेवाली राज्य-व्यवस्था कायम नहीं हो सकती। आजाद हिन्दुस्तानमें देशके बड़ेसे बड़े धनवानोंके हाथमें हुकूमतका जितना हिस्सा रहेगा, अुतना ही गरीबोंके हाथमें भी होगा; और तब नअी दिल्लीके महलों और अुनकी बगलमें बसी हुअी गरीब मजदूर-बस्तियोंके टूटे-फूटे झोंपड़ोंके बीच जो दर्दनाक फर्क आज नजर आता है वह अेक दिनको भी नहीं टिकेगा। अगर धनवान लोग अपने धनको और अुसके कारण मिलनेवाली सत्ताको खुद राजी-खुशीसे छोड़कर और सबके कल्याणके लिअे सबके साथ मिलकर बरतनेको तैयार न होंगे, तो यह तय समझिये कि हमारे देशमें हिंसक और खूंख्वार क्रांति हुअे बिना न रहेगी। ट्रस्टीशिप (सरक्षकता) के मेरे सिद्धान्तका बहुत मजाक अुड़ाया गया है, फिर भी मैं अुस पर कायम हूं। यह सच है कि अुस सिद्धान्त तक पहुंचने यानी अुसका पूरा-पूरा अमल करनेका काम कठिन है। क्या अहिंसाकी भी यही हालत नहीं है? फिर भी १९२० में हमने यह सीधी चढ़ाअी चढ़नेका निश्चय किया था। अब तक हमने अुसमें जो (प्रयत्न) किया है वह कर लेने जैसा था, अिसे अब ह...।

... कार्यक्रम, पृ० ४०-४१; १९५९

थोड़े प्रयाससे ज्यादा अच्छा तरीका मैंने बताया है। रचनात्मक कार्यक्रम देशको अुस ध्येयकी ओर बहुत हद तक ले जाता है। अुसके लिअे आज अत्यन्त अनुकूल समय भी है। चरखा और चरखेके साथ सम्बन्ध रखनेवाले अुद्योगोंको अगर हम सफलताके साथ चला सकें, तो अुससे हम लगभग सारी आर्थिक और सामाजिक असमानतायें मिटा सकते हैं। अहिंसाके मंत्रसे जनतामें दिनोंदिन जो जागृति आ रही है और अपनी शक्तिका जो ज्ञान अुसमें पैदा हो रहा है, अुसके साथ अगर वह अपनी गुलामीकी क्रियामें सहकार करनेसे बुद्धिपूर्वक अिनकार कर दे, तो अुसमें से आर्थिक समानता अवश्य पैदा होगी।

हरिजनसेवक, २५-१-'४२, पृ० ११

साम्यवादियों और समाजवादियोंका कहना है कि आज वे आर्थिक समानताको जन्म देनेके लिअे कुछ नहीं कर सकते। वे अुसके लिअे प्रचारभर कर सकते हैं। अिसके लिअे लोगोंमें द्वेष या वैर पैदा करने और अुसे बढ़ानेमें अुनका विश्वास है। अुनका कहना है कि राजसत्ता पाने पर वे लोगोंसे समानताके सिद्धान्त पर अमल करवायेंगे। मेरी योजनाके अनुसार राज्य लोगोंकी अिच्छा पूरी करेगा, न कि लोगोंको आज्ञा देगा या अपनी आज्ञा जबरन् अुन पर लादेगा। मैं घृणासे नहीं परन्तु प्रेमकी शक्तिसे लोगोंको अपनी बात समझाअूंगा और अहिंसाके द्वारा आर्थिक समानता पैदा करूंगा। मैं सारे समाजको अपने मनका बनाने तक रुकूंगा नहीं — बल्कि अपने पर ही यह प्रयोग शुरू कर दूंगा। अिसमें जरा भी शक नहीं कि अगर मैं ५० मोटरोंका या केवल १० बीघा जमीनका भी मालिक होअूं तो मैं अपनी कल्पनाकी आर्थिक समानताको जन्म नहीं दे सकता। अुसके लिअे मुझे गरीब बन जाना होगा। यही प्रयत्न मैं पिछले ५० सालोंसे या अुससे भी ज्यादा समयसे करता आया हूं। अिसीलिअे मैं पक्का कम्युनिस्ट होनेका दावा करता हूं। अगरचे मैं धनवानों द्वारा दी गअी मोटरों या दूसरी सुवि-धाओंसे फायदा अुठाता हूं, मगर मैं अुनके वशमें नहीं हूं। अगर आम

जनताके हितोंका वैसा तकाजा हुआ, तो बातकी बातमें मैं अुनको अपनेसे दूर हटा सकता हूं।

हरिजनसेवक, ३१-३-'४६; पृ० ६३-६४

गांधीजी मद्रासका दौरा कर रहे थे, अुन दिनों रचनात्मक कार्यकर्ता-सम्मेलनमें अुनसे पूछा गया, "आर्थिक समानतासे आपका ठीक-ठीक अर्थ क्या है?"

अुनका जवाब यह था, "मेरी कल्पनाकी आर्थिक समानताका अर्थ यह नहीं है कि हरअेकको अक्षरशः अुसी मात्रामें कोअी चीज मिले। अुसका मतलब अितना ही है कि हरअेकको अपनी आवश्यकताके लिअे काफी मिल जाना चाहिये। मिसालके लिअे . . . चींटीसे हाथीको हजार गुनी ज्यादा खुराक चाहिये, परन्तु यह असमानताका चिह्न नहीं है। अिस प्रकार आर्थिक समानताका सच्चा अर्थ यह है: 'सबको अपनी अपनी जरूरतके अनुसार मिले।' मार्क्सकी व्याख्या भी यही है। यदि अकेला आदमी भी अुतना ही मांगे जितना स्त्री और चार बच्चोंवाला व्यक्ति मांगे, तो यह आर्थिक समानताके सिद्धान्तका भंग होगा।

"किसीको यह कहकर अूंचे वर्गों और जन-साधारणके, राजा और रंकके बीचके बडे भारी अंतरको अुचित बतानेकी कोशिश नहीं करनी चाहिये कि पहलेकी आवश्यकतायें दूसरेसे अधिक हैं। यह व्यर्थकी दलील होगी और मेरे तर्कका मजाक अुडाना होगा। अमीर-गरीबके मौजूदा फर्कसे दिलको बड़ी चोट पहुंचती है। विदेशी हुकूमत और अुनके अपने देशवासी — नगरनिवासी — दोनों ही गरीब ग्रामीणोंका शोषण करते हैं। वे अन्न पैदा करते हैं और भूखे रहते हैं। वे दूध अुत्पन्न करते हैं और अुनके बच्चे दूधके बिना रहते हैं। यह लज्जा-जनक बात है। प्रत्येकको संतुलित भोजन, रहनेको अच्छा मकान, बच्चोंकी शिक्षाकी सुविधायें और दवा-दारूकी काफी मदद मिलनी [illegible]। यह है मेरा आर्थिक समानताका चित्र। मैं प्रारम्भिक

आवश्यकताओंमें अधिक हर चीजका निषेध नहीं करता, मगर अुसका नम्बर तभी आता है जब पहले गरीबोंकी मुख्य आवश्यकतायें पूरी हो जाय। पहले करने लायक काम पहले होने चाहिये।"

हरिजन, ३१-३-'४६; पृ० ६३

६

समान वितरणका सिद्धान्त

आर्थिक समानताका अर्थ है जगतके पास समान सम्पत्तिका होना, यानी सबके पास अितनी सम्पत्तिका होना जिससे वे अपनी कुदरती आवश्यकतायें पूरी कर सकें। कुदरतने ही अेक आदमीका हाजमा अगर नाजुक बनाया हो और वह केवल पांच ही तोला अन्न खा सके और दूसरेको बीस तोला अन्न खानेकी आवश्यकता हो, तो दोनोंको अपनी पाचन-शक्तिके अनुसार अन्न मिलना चाहिये। सारे समाजकी रचना अिस आदर्शके आधार पर होनी चाहिये। अहिंसक समाजको दूसरा आदर्श नहीं रखना चाहिये। पूर्ण आदर्श तक हम कभी नहीं पहुंच सकते। मगर अुसे नजरमें रखकर हम विधान बनावें और व्यवस्था करें। जिस हद तक हम अिस आदर्श तक पहुंच सकेंगे अुसी हद तक हम सुख और संतोष प्राप्त करेंगे और अुसी हद तक सामाजिक अहिंसा सिद्ध हुअी कही जा सकेगी।

अिस आर्थिक समानताके धर्मका पालन अेक अकेला मनुष्य भी कर सकता है। दूसरोंके साथकी अुसे आवश्यकता नहीं रहती। अगर अेक आदमी अिस धर्मका पालन कर सकता है, तो जाहिर है कि अेक मण्डल भी कर सकता है। यह कहनेकी जरूरत अिसीलिअे है कि किसी भी धर्मके पालनमें जब तक दूसरे अुसका पालन न करें तब तक हमें रुके रहनेकी आवश्यकता नहीं। और फिर ध्येयकी आखिरी हद तक

जनताके हितोंका वैसा तकाजा हुआ, तो बातकी बातमें मैं अुनको अपनेसे दूर हटा सकता हू।

हरिजनसेवक, ३१-३-'४६, पृ० ६३-६४

गाधीजी मद्रासका दौरा कर रहे थे, अुन दिनों रचनात्मक कार्यकर्ता-सम्मेलनमें अुनसे पूछा गया, "आर्थिक समानतासे आपका ठीक-ठीक अर्थ क्या है?"

अुनका जवाब यह था, "मेरी कल्पनाकी आर्थिक समानताका अर्थ यह नही है कि हरअेकको अक्षरशः अुसी मात्रामें कोअी चीज मिले। अुसका मतलब अितना ही है कि हरअेकको अपनी आवश्यकताके लिअे काफी मिल जाना चाहिये। मिसालके लिअे . . . चीटीसे हाथीको हजार गुनी ज्यादा खुराक चाहिये, परंतु यह असमानताका चिह्न नही है। अिस प्रकार आर्थिक समानताका सच्चा अर्थ यह है: 'सबको अपनी अपनी जरूरतके अनुसार मिले।' मार्क्सकी व्याख्या भी यही है। यदि अकेला आदमी भी अुतना ही मागे जितना स्त्री और चार बच्चोवाला व्यक्ति मागे, तो यह आर्थिक समानताके सिद्धान्तका भंग होगा।

"किसीको यह कहकर अूचे वर्गों और जन-साधारणके, राजा और रंकके बीचके बडे भारी अतरको अुचित बतानेकी कोशिश नहीं करनी चाहिये कि पहलेकी आवश्यकतायें दूसरेसे अधिक हैं। यह व्यर्थकी दलील होगी और मेरे तर्कका मजाक अुडाना होगा। अमीर-गरीबके मौजूदा फर्कसे दिलको बड़ी चोट पहुचती है। विदेशी हुकूमत और अुनके अपने देशवासी — नगरनिवासी — दोनो ही गरीब ग्रामीणोंका शोषण करते हैं। वे अन्न पैदा करते हैं और भूखे रहते हैं। वे दूध अुत्पन्न करते हैं और अुनके बच्चे दूधके बिना रहते हैं। यह लज्जा-जनक बात है। प्रत्येकको सतुलित भोजन, रहनेको अच्छा मकान, बच्चोंकी शिक्षाकी सुविधायें और दवा-दारूकी काफी मदद मिलनी चाहिये। यह है मेरा आर्थिक समानताका चित्र। मैं प्रारम्भिक

आवश्यकताओंसे अधिक हर चीजका निषेध नहीं करता, मगर अुसका नम्बर तभी आता है जब पहले गरीबोंकी मुख्य आवश्यकतायें पूरी हो जाय। पहले करने लायक काम पहले होने चाहिये।"

हरिजन, ३१-३-'४६, पृ० ६३

६

समान वितरणका सिद्धान्त

आर्थिक समानताका अर्थ है जगतके पास समान सम्पत्तिका होना, यानी सबके पास अितनी सम्पत्तिका होना जिससे वे अपनी कुदरती आवश्यकतायें पूरी कर सके। कुदरतने ही अेक आदमीका हाजमा अगर नाजुक बनाया हो और वह केवल पांच ही तोला अन्न खा सके और दूसरेको बीस तोला अन्न खानेकी आवश्यकता हो, तो दोनोंको अपनी पाचन-शक्तिके अनुसार अन्न मिलना चाहिये। सारे समाजकी रचना अिस आदर्शके आधार पर होनी चाहिये। अहिंसक समाजको दूसरा आदर्श नहीं रखना चाहिये। पूर्ण आदर्श तक हम कभी नहीं पहुंच सकते। मगर अुसे नजरमें रखकर हम विधान बनावें और व्यवस्था करें। जिस हद तक हम अिस आदर्श तक पहुंच सकेंगे अुसी हद तक हम सुख और संतोष प्राप्त करेंगे और अुसी हद तक सामाजिक अहिंसा सिद्ध हुअी कही जा सकेगी।

अिस आर्थिक समानताके धर्मका पालन अेक अकेला मनुष्य भी कर सकता है। दूसरोंके साथकी अुसे आवश्यकता नहीं रहती। अगर अेक आदमी अिस धर्मका पालन कर सकता है, तो जाहिर है कि अेक मण्डल भी कर सकता है। यह कहनेकी जरूरत अिसीलिअे है कि किसी भी धर्मके पालनमें जब तक दूसरे अुसका पालन न करें तब तक हमें रुके रहनेकी आवश्यकता नहीं। और फिर ध्येयकी आखिरी हद तक

कार्य-प्रणालीका आयोजन किया जाये, तो समाजमें बगैर संघर्ष और कड़वाहटके मूक शान्ति पैदा हो सकती है।

अिस प्रकार मनुष्य-स्वभावमें परिवर्तन होनेका अुल्लेख अितिहासमें कहीं देखा गया है? — अैसा प्रश्न किया जा सकता है। व्यक्तियोंमें तो अैसा हुआ ही है। समाजमें बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है, यह शायद सिद्ध न किया जा सके। अिसका अर्थ अितना ही है कि व्यापक अहिंसाका प्रयोग आज तक नहीं किया गया। हम लोगोंके हृदयमें अिस झूठी मान्यताने घर कर लिया है कि अहिंसा व्यक्तिगत रूपसे ही विकसित की जा सकती है और वह व्यक्ति तक ही मर्यादित है। दरअसल बात अैसी नहीं है। अहिंसा सामाजिक धर्म है, सामाजिक धर्मके रूपमें अुसका विकास किया जा सकता है, यही मनवानेका मेरा प्रयत्न और प्रयोग चल रहा है। यह नयी चीज है, अिसलिअे अिसे झूठ समझकर फेंक देनेकी बात अिस युगमें तो कोअी नहीं कहेगा। यह कठिन है, अिसलिअे अशक्य है, यह भी अिस युगमें कोअी नहीं कहेगा। क्योंकि बहुतसी चीजें अपनी आंखोंके सामने नअी-पुरानी होती हमने देखी हैं। मेरी यह मान्यता है कि अहिंसाके क्षेत्रमें अिससे बहुत ज्यादा साहस संभव है, और विविध धर्मोंके अितिहास अिस बातके प्रमाणोंसे भरे पड़े हैं।

किन्तु महाप्रयत्न करने पर भी धनिक संरक्षक न बनें, और भूखों मरते हुअे करोड़ोंको अहिंसाके नाम पर और अधिक कुचलते जायें तब क्या करें? अिस प्रश्नका अुत्तर ढूंढनेमें ही मुझे अहिंसक कानून-भंग प्राप्त हुआ है। कोअी धनवान गरीबोंके सहयोगके बिना धन नहीं कमा सकता। मनुष्यको अपनी हिंसक शक्तिका भान है, क्योंकि वह अुसे लाखों वर्षोंमें विरासतमें मिली हुअी है। मगर अुसे चौपैरकी जगह दो पैर और दो हाथवाले मनुष्यका आकार मिला, तब अुसमें अहिंसक शक्ति भी आअी। अहिंसक शक्तिका ज्ञान भी अुसमें धीरे-धीरे किन्तु अचूक रीतिसे रोज-रोज बढ़ने लगा। वह ज्ञान गरीबोंमें फैल

न पहुंच सकें तब तक कुछ भी त्याग न करनेकी वृत्ति बहुधा लोगोंमें देखनेमें आती है। यह वृत्ति भी हमारी गतिको रोकती है।

अब हम अिसका विचार करें कि अहिंसाके द्वारा आर्थिक समानता कैसे लाअी जा सकती है। अिस दिशामें पहला कदम यह है कि जिसने अिस आदर्शको अपनाया हो, वह अपने जीवनमें आवश्यक परिवर्तन करे। हिन्दुस्तानकी गरीब प्रजाके साथ अपनी तुलना करके वह अपनी आवश्यकतायें कम करे। अपनी धन कमानेकी शक्तिको नियन्त्रणमें रखे। जो धन कमाये अुसे अीमानदारीसे कमानेका निश्चय करे। सट्टेकी वृत्ति हो तो अुसका त्याग करे। घर भी अपनी सामान्य आवश्यकता पूरी करने लायक ही रखें और जीवनको हर तरहसे संयमी बनावे। अपने जीवनमें सारे संभव सुधार कर लेनेके बाद वह अपने मिलने-जुलनेवालोंमें और अपने पड़ोसियोंमें समानताके आदर्शका प्रचार करे।

आर्थिक समानताके अिस सिद्धान्तकी जड़में धनिकोंका ट्रस्टीपन निहित है। अिस आदर्शके अनुसार धनिकको अपने पड़ोसीसे अेक कौड़ी भी ज्यादा रखनेका अधिकार नही है। तब अुसके पास जो ज्यादा है, वह क्या अुससे छीन लिया जाये? अैसा करनेके लिअे हिंसाका आश्रय लेना पड़ेगा। और हिंसाके द्वारा अैसा करना संभव हो, तो भी समाजको अुससे कुछ फायदा होनेवाला नही है। क्योंकि धन अिकट्ठा करनेकी शक्ति रखनेवाले अेक आदमीकी शक्तिको समाज खो बैठेगा। अिसलिअे अहिंसक मार्ग यह हुआ कि जितनी अुचित मानी जा सके अुतनी अपनी आवश्यकतायें पूरी करनेके बाद जो पैसा बाकी बचे अुसका वह प्रजाकी ओरसे ट्रस्टी बन जाये। अगर वह प्रामाणिकतासे संरक्षक बनेगा तो जो पैसा पैदा करेगा अुसका सद्व्यय भी करेगा। जब मनुष्य अपने-आपको समाजका सेवक मानेगा, समाजके खातिर धन कमायेगा, समाजके कल्याणके लिअे अुसे खर्च करेगा, तब अुसकी ...में शुद्धता आयेगी। अुसके साहसमें अहिंसा होगी। अिस प्रकारकी

कार्य-प्रणालीका आयोजन किया जाये, तो समाजमें बगैर संघर्ष और कडवाहटके मूक क्रांति पैदा हो सकती है।

अिस प्रकार मनुष्य-स्वभावमें परिवर्तन होनेका अुल्लेख अितिहासमें कहीं देखा गया है? — अैसा प्रश्न किया जा सकता है। व्यक्तियोंमें तो अैसा हुआ ही है। समाजमें बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है, यह शायद सिद्ध न किया जा सके। अिसका अर्थ अितना ही है कि व्यापक अहिंसाका प्रयोग आज तक नहीं किया गया। हम लोगोंके हृदयमें अिस झूठी मान्यताने घर कर लिया है कि अहिंसा व्यक्तिगत रूपमें ही विकसित की जा सकती है और वह व्यक्ति तक ही मर्यादित है। दरअसल बात अैसी नहीं है। अहिंसा सामाजिक धर्म है, सामाजिक धर्मके रूपमें अुसका विकास किया जा सकता है, यही मनवानेका मेरा प्रयत्न और प्रयोग चल रहा है। यह नयी चीज है, अिसलिअे अिसे झूठ समझकर फेंक देनेकी बात अिस युगमें तो कोअी नहीं कहेगा। यह कठिन है, अिसलिअे अशक्य है, यह भी अिस युगमें कोअी नहीं कहेगा। क्योंकि बहुतसी चीजें अपनी आंखोंके सामने नअी-पुरानी होती हमने देखी हैं। मेरी यह मान्यता है कि अहिंसाके क्षेत्रमें अिससे बहुत ज्यादा साहस संभव है, और विविध धर्मोंके अितिहास अिस बातके प्रमाणोंसे भरे पड़े हैं।

किन्तु महाप्रयत्न करने पर भी धनिक संरक्षक न बनें, और भूखों मरते हुअे करोड़ोंको अहिंसाके नाम पर और अधिक कुचलते जायें तब क्या करें? अिस प्रश्नका अुत्तर ढूंढनेमें ही मुझे अहिंसक कानून-भंग प्राप्त हुआ है। कोअी धनवान गरीबोंके सहयोगके बिना धन नहीं कमा सकता। मनुष्यको अपनी हिंसक शक्तिका भान है, क्योंकि वह अुसे लाखों वर्षोंसे विरासतमें मिली हुअी है। जब अुसे चौपैरकी जगह दो पैर और दो हाथवाले प्राणीका आकार मिला, तब अुसमें अहिंसक शक्ति भी आअी। अहिंसक शक्तिका भान भी अुसमें धीरे धीरे किन्तु अचूक रीतिसे रोज-रोज बढ़ने लगा। वह भान गरीबोंमें फैल

जायें, तो वे बलवान बनें और आर्थिक असमानताको, जिसके आज वे शिकार बने हुअे हैं, अहिंसक तरीकेसे दूर करना सीख ले।

हरिजनसेवक, २४–८–'४०; पृ० २३१–३२

•

७

संरक्षकता — कानूनकी निरी कल्पना नहीं

प्रेम और वर्जनशील परिग्रह अेक साथ कभी नही रह सकते। सिद्धान्तके तौर पर, जब प्रेम परिपूर्ण होता है तब अपरिग्रह भी परिपूर्ण होना चाहिये। यह शरीर हमारा अन्तिम परिग्रह है। अिसलिअे कोअी मनुष्य केवल तभी सपूर्ण प्रेमको व्यवहारमें ला सकता है और पूर्णतया अपरिग्रही हो सकता है, जब कि वह मानव-जातिकी सेवाके खातिर मृत्युका आलिंगन करने तथा देहका त्याग करनेके लिअे भी तैयार रहता है। लेकिन यह सिद्धान्तके रूपमें ही सत्य है। यथार्थ जीवनमें हम मुश्किलसे ही सम्पूर्ण प्रेमका व्यवहार कर सकते है, क्योंकि यह शरीर परिग्रहके रूपमें हमेशा हमारे साथ रहनेवाला है। मनुष्य सदैव अपूर्ण रहेगा और फिर भी वह सदैव पूर्ण बननेकी कोशिश करेगा। अतअेव जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक पूर्ण प्रेम या पूर्ण अपरिग्रह अलभ्य आदर्शके रूपमें ही रहेंगे। परन्तु अुस आदर्शकी ओर बढ़नेकी हमें निरतर कोशिश करते रहना चाहिये।

जिनके पास अभी सम्पत्ति है अुनसे कहा जाता है कि वे अपनी सम्पत्तिके ट्रस्टी बन जायं और गरीबोंके खातिर अुसकी रक्षा और सार-संभाल करें। आप कह सकते हैं कि ट्रस्टीशिप या सरक्षकता तो कानूनकी अेक कल्पनामात्र है; व्यवहारमें अुसका कहीं कोअी दिखाअी नहीं पड़ता। लेकिन यदि लोग अुस पर सतत विचार आचरणमें अुतारनेकी कोशिश भी करते रहें, तो मानव-

जातिके जीवनकी नियामक शक्तिके रूपमें प्रेमकी आज जितनी सत्ता दिखाअी देती है अुससे कहीं अधिक दिखाअी देगी। बेशक, पूर्ण संरक्षकता तो युक्लिडकी बिन्दुकी व्याख्याकी तरह अेक कल्पना ही है और अुतनी ही अप्राप्य भी है। लेकिन यदि हम अुसके लिअे कोशिश करें, तो दुनियामें समानताकी सिद्धिकी दिशामें हम दूसरे किसी अुपायसे जितने आगे जा सकेंगे अुसके बजाय अिस अुपायसे ज्यादा आगे बढ़ सकेंगे।

प्र० — अगर आप कहते हैं कि वैयक्तिक परिग्रहका अहिंसाके साथ कोअी मेल नहीं बैठ सकता, तो फिर आप अुसे क्यों बरदाश्त करते हैं?

अु० — यह छूट हमें अुन लोगोंके लिअे रखनी होती है जो धन तो कमाते हैं, लेकिन अपनी कमाअीका अुपयोग स्वेच्छासे मानव-जातिकी भलाअीमें नहीं करना चाहते।

प्र० — तब वैयक्तिक सम्पत्तिके स्थान पर राज्यके स्वामित्वकी स्थापना करके हिंसाको कमसे कम क्यों न किया जाय?

अु० — यह वैयक्तिक मालिकीसे अधिक अच्छा है। लेकिन हिंसाकी मददसे अैसा किया जाय तो यह भी आपत्तिजनक है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि राज्यने पूंजीवादको हिंसाके द्वारा दबानेकी कोशिश की, तो वह खुद ही हिंसाके जालमें फंस जायेगा और कभी भी अहिंसाका विकास नहीं कर सकेगा। राज्य हिंसाका अेक केन्द्रित और संगठित रूप ही है। व्यक्तिमें आत्मा होती है, परन्तु चूंकि राज्य अेक जड़ यन्त्रमात्र है अिसलिअे अुसे हिंसासे कभी अलग नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही अुसका अस्तित्व निर्भर करता है। अिसलिअे मैं संरक्षकताके सिद्धान्तको तरजीह देता हूं।

प्र० — हम अेक विशिष्ट अुदाहरण पर आयें। कल्पना कीजिये कि अेक कलाकार कुछ चित्र अपने पुत्रके पास छोड़ जाता है; वह पुत्र राष्ट्रके लिअे अुनका कोअी मूल्य नहीं समझता है, अिसलिअे वह

अुन्हें बेच देता है या बरबाद कर देता है। अिससे राष्ट्र अेक व्यक्तिकी मूर्खताके कारण कुछ बेहुमूल्य चित्रोंसे वंचित रहता है। अगर आपको यह विश्वास करा दिया जाय कि वह पुत्र अुस अर्थमें संरक्षक कभी नहीं बन सकेगा जिस अर्थमें आप अुसे बनाना पसन्द करते हैं, और अैसी स्थितिमें राज्य कमसे कम हिंसाका प्रयोग करके वे चित्र अुससे छीन ले, तो क्या राज्यके अिस कदमको आप अुचित नहीं मानेंगे?

अु० — हां, राज्य सचमुच अुन चित्रोंको छीन लेगा और मैं मानता हूं कि राज्य यदि अिस काममें कमसे कम हिंसाका अुपयोग करे तो वह न्यायसगत होगा। लेकिन यह डर हमेशा बना रहता है कि कहीं राज्य अुन लोगोंके खिलाफ, जो अुससे मतभेद रखते हैं, बहुत ज्यादा हिंसाका अुपयोग न करे। सम्बन्धित लोग यदि स्वेच्छासे सरक्षकोंकी तरह व्यवहार करने लगें, तो मुझे सचमुच बड़ी खुशी होगी। लेकिन यदि वे अैसा न करें तो मैं मानता हूं कि हमें राज्यके द्वारा भरसक कम हिंसाका प्रयोग करके अुनकी सम्पत्ति ले लेनी पड़ेगी। अिसी कारणसे मैंने गोलमेज परिषदमें यह कहा था कि सभी निहित हितवालोंकी सम्पत्तिकी जाच होनी चाहिये और जहां आवश्यक मालूम हो वहां अुनकी सम्पत्ति राज्यको — स्थितिके अनुसार मुआवजा देकर या मुआवजा दिये बिना — अपने हाथमें कर लेनी चाहिये।

व्यक्तिगत तौर पर मैं अिसे ज्यादा पसन्द करूंगा कि राज्यके हाथमें सत्ता केन्द्रित होनेके बजाय सरक्षकताकी भावना समाजमें व्यापक बने। क्योंकि मेरी रायमें राज्यकी हिंसाकी तुलनामें वैयक्तिक मालिकीकी हिंसा कम हानिकर है। लेकिन यदि राज्यकी मालिकी अनिवार्य ही हो, तो मैं राज्यकी कम-से-कम मालिकीका समर्थन करूंगा।

यह स्वीकार करते हुअे भी कि मनुष्य वास्तवमें आदतोंके बल पर जीवित रहता है, मेरा विचार है कि अुसका अपनी सकल्प-शक्तिको आचरणमें अुतारकर जीना अधिक अच्छा है। मैं यह भी विश्वास रखता हूं कि मनुष्यमें अपनी संकल्प-शक्तिको अिस हद तक विकसित

कि श्रम ही पूंजी है; और यह जीवित पूंजी अटूट है। अिसी नियमके आधार पर हम अहमदाबादके मजदूर-संघमें काम करते आ रहे हैं। यही वह नियम है जिसके मातहत हम सरकारके विरुद्ध लड़ते रहे हैं। यही वह नियम है जिसकी स्वीकृतिने चम्पारनके १,३००,००० लोगोंको अेक सदी पुराने अत्याचारसे केवल छह महीनोंमें मुक्त करा दिया। मुझे यह कहनेमें आपका समय नहीं लेना चाहिये कि वह अत्याचार क्या था। लेकिन जो लोग अुस सवालमें दिलचस्पी रखते हैं, वे मैंने जो तथ्य अुनके सामने रखे हैं अुनमें से हरअेकका अध्ययन कर सकेंगे। अब मैं आपको बतलाअूंगा कि हमने क्या किया है। अंग्रेजीमें अेक बहुत जोरदार शब्द है — यह शब्द फ्रेंच भाषामें और दुनियाकी दूसरी भाषाओंमें भी है। वह है — 'नहीं'। बस, हमने अपनी सफलताके लिअे यही रहस्य खोज निकाला है कि जब पूंजीपति मजदूरोंसे 'हां' कहलवाना चाहें, अुस समय यदि मजदूर 'हां' कहनेके बजाय 'नहीं' कहनेकी अिच्छा रखते हों, तो अुन्हें निस्संकोच 'नहीं' का ही गर्जन करना चाहिये। अैसा करने पर मजदूरोंको तुरन्त ही अिस बातका ज्ञान हो जाता है कि अुन्हें यह आजादी है कि जब वे 'हां' कहना चाहें तब 'हां' कहें और जब 'नहीं' कहना चाहें तब 'नहीं' कह दें, और यह कि वे पूंजीपतिके अधीन नहीं हैं, बल्कि पूंजीपतिको अुन्हें खुश रखना चाहिये। पूंजीपतिके पास बन्दूक, तोप और जहरीली गैस जैसे डरावने अस्त्र भी हों, तो भी अिस स्थितिमें कोअी फर्क नहीं पड़ सकता। अगर मजदूर अपने 'नहीं' पर डटे रहकर अपनी प्रतिष्ठाको कायम रखें, तो पूंजीपति अपने अुन सब शस्त्रास्त्रोंके बावजूद भी पूरी तरह असहाय सिद्ध होंगे। अुस हालतमें मजदूर बदला नहीं लेंगे, बल्कि गोलियां और जहरीली गैसकी मार सहते हुअे भी निडर रहेंगे और अपनी 'नहीं' की टेक पर अडिग रहेंगे।

मजदूर अपने प्रयत्नमें अक्सर असफल होते हैं, अुसका कारण यह है कि वे मेरे बताये अनुसार पूंजीको पशु नहीं बनाते, बल्कि वे (मैं खुद

मजदूरके नाते ही यह कह रहा हूं) अुन पूंजीको स्वयं हथियाना चाहते हैं और खुद अिस ढंगके दूसरे बुरे अपने पूंजीपति बनना चाहते हैं। अिसलिअे पूंजीपति, जो अच्छी तरह संगठित हैं और अपनी जगह पर मजबूतीसे जमे हुअे हैं, जब देखते हैं कि मजदूरोंमें भी पूंजीपतिका दरजा पानेके अभिलाषी अुम्मीदवार हैं, तो वे अैसे मजदूरोंके अेक भागका अुपयोग मजदूरोंको दबानेके लिअे करते हैं। अगर हम लोग सचमुच पूंजीके अिस मोहिनीके प्रभावमें न होते, तो हममें से हरअेक स्त्री और पुरुष अिस बुनियादी सत्यको आसानीसे समझ लेता। जीवनके विभिन्न क्षेत्रोंमें लगातार प्रयोग करते करते अिस सत्यको अपने लिअे सिद्ध करके मैं आपसे अधिकारपूर्वक कह रहा हू (अैसा कहनेके लिअे मुझे आप क्षमा करेंगे) कि मैं आपके सामने जो योजना रखता हू, वह मनुष्यकी शक्तिके परे नहीं है; वह अैसी योजना है जिस पर मजदूर — स्त्री या पुरुष — अमल कर सकता है। फिर, आप देखेंगे कि मजदूरोंसे अिस अहिंसक योजनाके अन्तर्गत जो कुछ भी करनेको कहा जाता है वह अुसकी अपेक्षा कुछ अधिक नहीं है जो स्विस सैनिक लड़ाअीके मोर्चे पर करता है या साधारण सैनिकको, जो सिरसे पैर तक शस्त्र-सज्जित है, करनेकी आज्ञा दी जाती है। हालांकि जब वह निस्सन्देह अपने विपक्षीको मृत्यु और विनाशका दंड देना चाहता है, तब वह भी अपनी जानको हथेलीमें लिये रहता है। तो मैं चाहता हू कि मजदूर अुस सैनिककी पाशविकताको छोड़कर — यानी अुसकी मार डालनेकी क्षमताका अनुकरण न करके — अुसके साहसका अनुकरण करे; और मैं आपसे कहता हू कि जो मजदूर मृत्युका आलिंगन करता है और निःशस्त्र रहते हुअे, यहां तक कि आत्मरक्षाके हथियारोंके बिना भी मरनेका साहस रखता है, वह अुस अेड़ीसे चोटी तक शस्त्र-सज्जित सैनिककी अपेक्षा अधिक अूचे साहसका प्रदर्शन करता है।

१४-१-'३२; पृ० १७-१८

९

पूंजीपति क्या पसंद करेंगे?

जैसा जापानके अुमरावोंने किया, अुसी तरह अुन्हें (जमींदारों और तालुकदारोंको) भी अपने आपको संरक्षक मानना चाहिये। अुनके पास जो धन है अुसे यह समझकर रखना चाहिये कि अुसका अुपयोग अुन्हें अपने संरक्षित किसानोंकी भलाअीके लिअे करना है। अुस हालतमें वे अपने परिश्रमके कमीशनके रूपमें अुचितसे ज्यादा रकम नहीं लेंगे। अिस समय धनिक वर्गके सर्वथा अनावश्यक ठाट-बाट और फिजूलखर्चीमें तथा अिन किसानोंके बीचमें वे रहते हैं अुनके गंदगीभरे वातावरण और कुचल डालनेवाले दारिद्र्यमें कोअी अनुपात नहीं है।

यदि पूंजीपति वर्ग कालका संकेत समझकर सम्पत्तिके बारेमें अपने अिस विचारको बदल डालें कि अुस पर अुनका अीश्वर-दत्त अधिकार है, तो जो सात लाख घूरे आज गांव कहलाते हैं अुन्हें आनन-फाननमें शान्ति, स्वास्थ्य और सुखके धाम बनाया जा सकता है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि यदि पूंजीपति जापानके अुमरावोंका अनुकरण करें, तो वे सचमुच कुछ खोयेंगे नहीं और सब कुछ पायेंगे। केवल दो मार्ग हैं जिनमें से अुन्हें अपना चुनाव कर लेना है। अेक तो यह कि पूंजीपति अपना अतिरिक्त संग्रह स्वेच्छासे छोड़ दें और अुसके परिणामस्वरूप सबको वास्तविक सुख प्राप्त हो जाय। दूसरा यह कि अगर पूंजीपति समय रहते न चेते तो करोड़ों जाग्रत किन्तु अज्ञान और भूखे लोग देशमें अैसी अव्यवस्था मचा दें, जिसे किसी बलशाली हुकूमतकी फौजी ताकत भी नहीं रोक सकती।

यं० अिंडिया, ५-१२-'२९; पृ० ३९६

मैं अहिंसक पद्धतिसे जमींदारों और दूसरे पूंजीपतियोंका हृदय-परिवर्तन करनेकी आशा रखता हूं। अिसलिअे मेरी दृष्टिमें वर्ग-संघर्ष अनिवार्य नहीं है। क्योंकि कमसे कम प्रतिरोधके मार्ग पर चलना अहिंसाका

करनेवाले और अगर रखनेवाले लोग अुनकी पत्नीसे अपील करेंगे कि वह अपने पतिको समझाये। शायद पत्नी यह कहे कि मुझे अपने लिअे तो यह शोषणका रुपया नहीं चाहिये; बच्चे भी अैसा कह कि हमें जितना चाहिये अुतना हम खुद कमा लेंगे।

अब मान लीजिये कि मालिक किसीकी नहीं सुनता या अुसके बीबी-बच्चे किसानोंके विरुद्ध अेक हो जाते हैं, तो भी किसान सिर नहीं झुकायेंगे। अुन्हें जमीन छोड़नेके लिअे कहा जायगा तो वे जमीन छोड़कर चले जायंगे, मगर यह स्पष्ट कर देंगे कि जमीन अुसीकी है जो अुसे जोतता है। मालिक खुद सारी जमीनको जोत नहीं सकता और अुसे काश्तकारोंकी न्यायपूर्ण मांगोंके आगे झुकना ही पड़ेगा। परन्तु यह संभव है कि अिन किसानोंकी जगह पर दूसरे किसान आ जाय। अुस स्थितिमें हिंसा किये बिना आन्दोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक अुनका स्थान लेनेवाले काश्तकारोंको अपनी भूल महसूस न हो जाय और वे जमींदारके खिलाफ बेदखल किये गये काश्तकारोंके साथ मिल न जायें।

सत्याग्रह लोकमतको शिक्षा देनेकी अेक अैसी प्रक्रिया है, जो समाजके समस्त तत्त्वोंको प्रभावित करके अन्तमें अजेय बन जाती है। हिंसासे अुस प्रक्रियामें बाधा पड़ती है और सारे समाजकी सच्ची क्रान्तिमें विलम्ब होता है।

सत्याग्रहकी सफलताके लिअे जरूरी शर्तें ये हैं: (१) विरोधीके प्रति सत्याग्रहीके हृदयमें घृणा नहीं होनी चाहिये; (२) मामला सच्चा और ठोस होना चाहिये; (३) सत्याग्रहीको अपने कार्यके लिअे अन्त तक कष्ट-सहन करनेकी तैयारी रखनी चाहिये।

हरिजन, ११-३-'४६; पृ० ६४

प्र०—आप कहते हैं कि राजा, जमींदार या पूंजीपति संरक्षक (ट्रस्टी) बनकर रहें। आपके सवालसे क्या अैसे राजा, जमींदार या

अेक आवश्यक अंग है। जिस दिन जमीनको जोतनेवाले किसान अपनी शक्तिको पहचान लेंगे, अुसी दिन जमींदारीकी बुराअी पंगु बन जायगी। अगर किसान यह कह दें कि जब तक हमारे और हमारे बच्चोंके भोजन, कपड़े और शिक्षाके लिअे हमें पूरी मजदूरी नहीं दी जायगी, तब तक हम जमीन पर कोअी काम नहीं करेंगे, तो बेचारा जमींदार क्या कर सकेगा? वास्तवमें श्रम करनेवाला जो कुछ अुत्पन्न करता है अुसका स्वामी वही है। अगर श्रमजीवी लोग समझ-बूझकर अेक हो जाय, तो अुनकी शक्ति अजेय बन जायगी। अिसीलिअे मैं वर्ग-संघर्षकी आवश्यकता नहीं मानता। अगर मैंने अुसे अनिवार्य माना होता तो अुसका प्रचार करने और अुसकी शिक्षा देनेमें मैंने कोअी संकोच न किया होता।

हरिजन, ५-१२-'३६; पृ० ३३९

१०

अहिंसक पृष्ठबल

प्र० — धनी लोगोंको गरीबोंके प्रति अुनका कर्तव्य महसूस करानेमें सत्याग्रहका क्या स्थान है?

अु० — वही जो विदेशी हुकूमतके खिलाफ आजादीकी लड़ाअी लड़नेमें है। सत्याग्रह अैसा कानून है जो सर्वत्र लागू किया जा सकता है। परिवारसे आरम्भ करके दूसरे किसी भी क्षेत्र तक अुसके अुपयोगका विस्तार किया जा सकता है। मान लीजिये कि कोअी भूस्वामी अपने किसानोंका शोषण करता है और अुनके परिश्रमके फलको अपने ही काममें लेकर अुन्हें अुससे वंचित रखता है। जब वे अुसे अुलाहना देते हैं तो वह अुनकी बात सुनता नहीं और जवाब देता है कि मुझे अितना अपनी पत्नीके लिअे चाहिये, अितना अपने ब[illegible]अे चाहिये, अित्यादि अित्यादि। अैसी हालतमें किसान या अुन [illegible]

करनेवाले और अमर रहनेवाले लोग अुनकी पत्नीसे अपील करेंगे कि वह अपने पतिको समझाये। शायद पत्नी यह कहे कि मुझे अपने लिअे तो यह शोषणका रुपया नहीं चाहिये; बच्चे भी अैसा कहें कि हमें जितना चाहिये अुतना हम खुद कमा लेंगे।

अब मान लीजिये कि मालिक किसीकी नहीं सुनता या अुसके बीवी-बच्चे किसानोंके विरुद्ध अेक हो जाते हैं, तो भी किसान सिर नहीं झुकायेंगे। अुन्हें जमीन छोड़नेके लिअे कहा जायगा तो वे जमीन छोड़कर चले जायेंगे, मगर यह स्पष्ट कर देंगे कि जमीन अुसीकी है जो अुसे जोतता है। मालिक खुद सारी जमीनको जोत नहीं सकता और अुसे काश्तकारोंकी न्यायपूर्ण मांगोंके आगे झुकना ही पड़ेगा। परन्तु यह मुमकिन है कि अिन किसानोंकी जगह पर दूसरे किसान आ जायं। अुस स्थितिमें हिंसा किये बिना आन्दोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक अुनका स्थान लेनेवाले काश्तकारोंको अपनी भूल महसूस न हो जाय और वे जमींदारके खिलाफ बेदखल किये गये काश्तकारोंके साथ मिल न जायें।

सत्याग्रह लोकमतको शिक्षा देनेकी अेक अैसी प्रक्रिया है, जो समाजके समस्त तत्त्वोंको प्रभावित करके अन्तमें अजेय बन जाती है। हिंसासे अुस प्रक्रियामें बाधा पड़ती है और सारे समाजकी सच्ची क्रान्तिमें विलम्ब होता है।

सत्याग्रहकी सफलताके लिअे जरूरी शर्तें ये हैं: (१) विरोधीके प्रति सत्याग्रहीके हृदयमें घृणा नहीं होनी चाहिये; (२) मामला सच्चा और ठोस होना चाहिये; (३) सत्याग्रहीको अपने कार्यके लिअे अन्त तक कष्ट-सहन करनेकी तैयारी रखनी चाहिये।

हरिजन, ३१-३-'४६; पृ० ६४

प्र०—आप कहते हैं कि राजा, जमींदार या पूंजीपति संरक्षक (ट्रस्टी) बनकर रहें। आपके खयालसे क्या अैसे राजा, जमींदार या

अेक आवश्यक अंग है। जिस क्षण जमीनके जोतनेवाले किसान अपनी शक्तिको पहचान लेंगे, अुसी क्षण जमींदारीकी बुराओी पंगु बन जायगी। अगर किसान यह कह दें कि जब तक हमारे और हमारे बच्चोंके भोजन, कपड़े और शिक्षाके लिअे हमें पूरी मजदूरी नहीं दी जायगी, तब तक हम जमीन पर कोओी काम नहीं करेंगे, तो बेचारा जमींदार क्या कर सकेगा? वास्तवमें श्रम करनेवाला जो कुछ अुत्पन्न करता है अुसका स्वामी वही है। अगर श्रमजीवी लोग समझ-बूझकर अेक हो जाय, तो अुनकी शक्ति अजेय बन जायगी। अिसीलिअे मैं वर्ग-संघर्षकी आवश्यकता नहीं मानता। अगर मैंने अुसे अनिवार्य माना होता तो अुसका प्रचार करने और अुसकी शिक्षा देनेमें मैंने कोओी संकोच न किया होता।

हरिजन, ५–१२–'३६; पृ० ३३९

१०

अहिंसक पृष्ठबल

प्र० — धनी लोगोंको गरीबोंके प्रति अुनका कर्तव्य महसूस करानेमें *सत्याग्रहका क्या स्थान है?*

अु० — वही जो विदेशी हुकूमतके खिलाफ आजादीकी लड़ाओी लड़नेमें है। सत्याग्रह अैसा कानून है जो सर्वत्र लागू किया जा सकता है। परिवारसे आरम्भ करके दूसरे किसी भी क्षेत्र तक अुसके अुपयोगका विस्तार किया जा सकता है। मान लीजिये कि कोओी भूस्वामी अपने किसानोंका शोषण करता है और अुनके परिश्रमके फलको *अपने ही* काममें लेकर अुन्हें अुससे वंचित रखता है। जब वे अुसे अुलाहना देते हैं तो वह अुनकी बात सुनता नहीं और जवाब देता है कि मुझे अितना अपनी पत्नीके *लिअे चाहिये, अितना अपने बच्चोंके लिअे* चाहिये, अित्यादि अित्यादि। अैसी हालतमें किसान या अुनकी हिमायत

११

कुछ प्रश्न और अुत्तर

प्र० — आपके लेखोंसे यह खयाल होता है कि आपका 'संरक्षक' अत्यन्त सद्भावनाशील, परोपकारी और दानदातासे अधिक कुछ नहीं है। अुदाहरणके लिअे, प्रथम पारसी बैरोनेट ताता, वाड़िया, बिड़ला और श्री बजाज आदि। क्या यह ठीक है? क्या आप कृपा करके समझायेंगे कि किसी धनवानकी संपत्तिसे लाभ अुठानेका मुख्य या सबसे पहला अधिकार आप किनका समझते हैं? आय और पूंजीके हिस्से या रकमकी

प्र० — किसी संरक्षक (ट्रस्टी) का अुत्तराधिकारी कैसे तय किया जायगा? क्या अुसे-किसीका नाम सिर्फ प्रस्तावित करनेका ही अधिकार होगा और अन्तिम निर्णय राज्यके हाथमें रहेगा?

अु० — चुनावका अधिकार प्रथम संरक्षक बननेवाले मूल मालिकको होना चाहिये, परन्तु अिस चुनावको अन्तिम रूप राज्य देगा। अैसी व्यवस्थासे राज्य और व्यक्ति दोनों पर अंकुश रहता है।

प्र० — सरक्षकताके सिद्धान्त पर अमल होनेसे जब अिस प्रकार व्यक्तिगत सपत्तिकी जगह सार्वजनिक सपत्ति ले लेगी, तब क्या स्वामित्व राज्यका होगा जो हिंसाका साधन है; या राज्यके कानूनोंसे अधिकार पानेवाली परन्तु राजी-खुशी और सहकारके आधार पर बनी हुअी पंचायतों और म्युनिसिपैलिटियों आदि सस्थाओंका होगा?

अु० — अिस प्रश्नमें विचारकी कुछ गड़बड है। बदली हुअी सामाजिक स्थितिमें कानूनी स्वामित्व सरक्षकका रहेगा, राज्यका नहीं। राज्य मिल्कियतको जब्त न करे और समाजकी सेवाके लिअे पूजी या मिल्कियतके मूल मालिककी योग्यता अुसके हककी रूसे समाजके काममें आवे, अिसलिअे सरक्षकताका सिद्धान्त अमलमें लाया जाता है। यह भी जरूरी नहीं कि राज्यका आधार सदा हिंसा पर ही हो। सिद्धान्तके रूपमें अैसा हो सकता है, परन्तु अिस सिद्धान्तको कार्यान्वित करनेके लिअे काफी हद तक अहिंसाके आधार पर चलनेवाले राज्यकी जरूरत होगी।

हरिजन, १६-२-'४७, पृ० २५

ही की जा सकती है। आपने भी हमें सिखाया है कि राजने
क्रान्तिको मार देता है। क्या यह चीज सामाजिक क्रान्तिको
लागू नहीं होती ? जो भी हो, यदि अहिंसामें विरोधीको
न्तके लिअे प्राणोंकी आहुति देनेके लिअे तैयार करनेकी श
आपके विचारसे अहिंसा अैसा कर सकती है — तो अहिंस
पूजीपतियोंसे अुनकी विशाल सम्पत्तिका त्याग क्यों नहीं
आप यह तो स्वीकार करते ही हैं कि धनिकोंकी विशाल
अधिकतर शोषणका ही नतीजा है ? तब आप संरक्षकताव
करते हैं ? बहुत लोगोंका यह विश्वास है कि सरक्षकता
ही साबित होगी। या अन्तमें यह मानना होगा कि अहि
अेक मर्यादा जरूर है ?"

गाधीजी : "अेक तरहसे अुनका कहना ठीक है। स्व　　ही अहिंसा सत्ता नही 'छीन' सकती, न यह अुसका अुद्देश्य ही हो सकता है। लेकिन अहिंसा अिससे भी अधिक काम कर सकती है; सरकारी तंत्र पर अधिकार जमाये बिना ही वह सत्ता पर असरकारक रूपमें नियंत्रण रख सकती है और अुसे रास्ता बता सकती है। यही अहिंसाकी विशेषता है। बेशक, अिसमें अेक अपवाद है। अगर लोगोंका अहिंसक असहयोग अितना पूर्ण हो कि शासन-तन्त्रका काम ही ठप हो जाय या विदेशी हमलेके जोरसे शासन-तंत्र टूट पड़े और रिक्तता पैदा हो जाये, तो जनताके प्रतिनिधि आगे आकर अुसे भर देंगे। सैद्धान्तिक रूपसे यह संभव है।"

अिससे मुझे वह बात याद आ गअी, जो गाधीजीने अेक बार मीराबहनसे कही थी :

"अहिंसा सत्ताको हथियाती नही है। वह तो सत्ताकी चाहना तक नही है; सत्ता स्वयं अुसके पास चली आती है।"

गाधीजीने अपनी दलील जारी रखते हुअे कहा :

"अिसके अलावा, मैं यह नही मानता कि सरकार हिंसाके अुपयोगसे ही चलाअी जा सकती है।"

प्यारेलाल : "क्या राज्यके मूलमें ही सत्ताका — दण्डसत्ताका — भाव निहित नही है?"

गाधीजी : "है। लेकिन सत्ताका अुपयोग लाजिमी तौर पर हिंसक नही होना चाहिये। अेक परिवारमें पिताकी सत्ता बच्चों पर होती है। वह बच्चोंको सजा भी दे सकता है, लेकिन हिंसाका प्रयोग करके नहीं। सत्ताका सबसे कारगर अमल वह है, जो लोगोंको कमसे कम परेशान करे। अगर सत्ताका सही ढंगसे अुपयोग किया जाये, तो वह फूलकी तरह हलकी मालूम होनी चाहिये, किसी पर अुसका बोझ पड़ना ही नहीं चाहिये। काग्रेसकी सत्ता लोगोंने खुशीसे स्वीकार की। मुझे कअी बार लोगोंने तानाशाहकी निरंकुश सत्ता सौंपी। लेकिन हरकोअी

ही अहिंसक तानाशाह बनने लायक है। अगर किसीको अिस तपस्याका चित्र भयावना मालूम हो, तो वह रूसियोंको देखे जो बर्फ जमानेवाली सरदीसे भी ४० डिग्री नीचेकी सरदीमें शत्रुओंके साथ बहादुरीसे लड रहे हैं। तो अहिंसाकी दृष्टिसे हम अिससे ज्यादा नरम हलकी आशा क्यों करें? अिसके विपरीत हमें अिससे ज्यादा बड़े त्यागों और कुरबानियोंके लिअे तैयार रहना चाहिये।"

गांधीजीने मेरे कथनका समर्थन किया कि अहिंसामें लोगोंको अिससे ज्यादा बड़ी कुरबानियोंके लिअे तैयार रहना चाहिये, क्योंकि अिसमें ध्येय भी ज्यादा अूंचा होता है। अुन्होंने कहा "अुद्धार या मुक्तिका कोअी छोटा रास्ता हो ही नहीं सकता।"

मेरी बहन बीचमें ही बोल अुठी "अिसका यह अर्थ है कि कोअी अीसा, मुहम्मद या बुद्ध ही अहिंसक राज्यका मुखिया हो सकता है।"

३. अुसमें धनके स्वामित्व और अुपयोगके कानूनी नियमनकी मनाही नहीं है।

४. अिस प्रकार राज्य द्वारा नियंत्रित संरक्षकतामें कोअी व्यक्ति अपनी स्वार्थसिद्धिके लिअे या समाजके हितके विरुद्ध संपत्ति पर अधिकार रखने या अुसका अुपयोग करनेके लिअे स्वतंत्र नहीं होगा।

५. जिस तरह अुचित न्यूनतम जीवन-वेतन स्थिर करनेकी बात कही गअी है, ठीक अुसी तरह यह भी तय कर दिया जाना चाहिये कि वास्तवमें किसी भी व्यक्तिकी ज्यादासे ज्यादा कितनी आमदनी हो। न्यूनतम और अधिकतम आमदनियोंके बीचका फर्क अुचित, न्यायपूर्ण और समय समय पर अिस प्रकार बदलता रहनेवाला होना चाहिये कि अुसका झुकाव अिस फर्कको मिटानेकी तरफ हो।

६. गांधीवादी अर्थ-व्यवस्थामें अुत्पादनका स्वरूप समाजकी जरूरतसे निश्चित होगा, न कि व्यक्तिकी सनक या लालचसे।

हरिजनसेवक, २५–१०–'५२; पृ० ३०९

ग्रामजनोंके अुपयोगका साहित्य

१. अस्पृश्यता	० १९
२. आरोग्यकी कुंजी	० ४४
३. खुराककी कमी और खेती	२ ५०
४. गांधीजी और गुरुदेव	०.८०
५. गांवोंकी मददमें	० ४०
६. गांधीजीकी संक्षिप्त आत्मकथा	० ७५
७ गीताका सन्देश	० ३०
८ गोसेवा	१ ५०
९. पंचायत राज	० ३०
१० रचनात्मक कार्यक्रम	० ३७
११ रामनाम	० ५०
१२ सहकारी खेती	० २०
१३ हमारे गांवोंका पुनर्निर्माण	१ ५०
१४ हरिजनसेवकोंके लिअे	० ३७
१५ भूदान-यज्ञ	१ २५
१६. बापूकी झांकियां	१ ००
१७ गांधीजी	०.७५
१८ ग्रामसेवाके दस कार्यक्रम	१.२५
१९ बापूके जीवन-प्रसंग	०.५०
२० जीवनका पाथेय	० ५०
२१. गांधीजीके पावन प्रसंग — १	०.३७
२२. गांधीजीके पावन प्रसंग — २	० ३७
२३. गांधीजीके पावन प्रसंग — ३	०.३५
२४. जीवनकी सुवास	० ३७
२५ जानने जैसी बातें	०.५०
२६ बोधक कहानियां	०.८५
२७. शील और सदाचार	०.३१

डाकखर्च अलग

नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद–१४

मर सपनोंका भारत

लेखक: गांधीजी; संग्रा० आर० के० प्रभु

अिस संग्रहमें भारतके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि सारे महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर गांधीजीके विचार पेश किये गये हैं। अिनसे पता चलता है कि राष्ट्रपिता स्वतंत्र भारतसे क्या क्या आशायें रखते थे और अुसका कैसा निर्माण करना चाहते थे। राष्ट्र डॉ० राजेन्द्रप्रसाद अपनी प्रस्तावनामें लिखते हैं: "श्री आर० प्रभुने गांधीजीके अत्यन्त प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अुद्धरणोंका सं अिस पुस्तकमें किया है। मेरा विश्वास है कि यह पुस्तक गांधीज शिक्षाके बुनियादी अुसूलोंको प्रस्तुत करनेवाले साहित्यमें अेक की वृद्धि करेगी।"

कीमत २.५० डाकखर्च १.००

सर्वोदय

[रस्किनके 'अन्टु दिस लास्ट' के आधार पर]

लेखक: गांधीजी; अनु० अमृतलाल नाणावटी

अिस पुस्तिकाकी रचना प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक जॉन रस्किनकी पुस्तक 'अन्टु दिस लास्ट' के आधार पर की गअी है, जिसने गांधीजीके जीवनमें तत्काल महत्त्वका रचनात्मक परिवर्तन कराया था। अिसमें बताया गया है कि हमारा ध्येय अधिक लोगोंका अुदय और कल्याण करना नहीं, परन्तु सब लोगोंका अुदय और कल्याण करना होना चाहिये। यह ध्येय किस तरह सिद्ध किया जा सकता है, अिसकी पुस्तकमें स्पष्ट चर्चा की गअी है। गांधीजीके सर्वोदयके आदर्शको माननेवालों और अुस पर अमल करनेकी अिच्छा रखनेवालोंको यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये।

कीमत ०.३५ डाकखर्च ०.१३